आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

16.08.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
जमांबदी सुधार वाद सं0–03/2015–16
अख्तर हुसैन
बनाम
आबेर्दुर रहमान उर्फ ओबेर्दुर शेख वगै0
आदेश

आवेदक अख्त हुसैन पिता स्व0 मौलवी मुसर्रफ हुसैन सा0–सलोमपुर थाना–बरहरवा जिला– साहेबगंज के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जमाबंदी सुधार वाद से संबंधित आवेदन दाखिल किया गया है। अवलोकन किया। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। दाखिल आवेदन के अवलोकन करने तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष को विधिवत नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई तथा अंचल अधिकारी, बरहरवा से इस कार्यालय पत्रांक 170/भू0सु0 दिनांक 11.12.2015 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आज उभय पक्ष अनुपस्थित।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा आहुतग्राम दाग न0 491 रकवा 02–04–15 धूर जमीन को खतियानी रैयत अबु समा थे। खतियानी रैयत अबु समा के मृत्यु उपरांत उनके तीन पुत्रों के बीच सौहार्दपुर्व ढंग से संयुक्त समपति का बंटवारा हुआ। जिसके तहत् अबु समा के एक पुत्र मुसर्रफ हुसैन को प्रश्नगत भूमि मौजा आहुतग्राम दाग न0 491 रकवा 02–04–05 धूर जमीन एवं अन्य जमीन हिस्से में प्राप्त हुआ। आपसी वंटनाम के पश्चात मुसर्रफ हुसैन को प्राप्त दाग न0 491 अन्तर्गत जमीन एवं अन्य जमीन का अंचल अधिकारी बरहरवा के नामान्तरण वाद संख्या 264/1974–75 के द्वारा नामान्तरण करवाया। नामान्तरण के पश्चात उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान अदा करते आ रहे है। इधर प्रश्नगत जमीन का हल्का कर्मचारी के द्वारा बहारुल हुसैन के नाम से भी लगान रसीद काटा जा रहा है। साथ ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी ओबेदुर रहमान उर्फ ओबेदुर शेख पे0 स्व0 इसहाक शेख, सा0–रहमतपुर ने द्वितीय विपक्षीगण से प्रश्नगत जमीन के अन्दर 00–02–00 धूर जमीन क्रय कर अपने नाम से दाखिल खारीज कराये है। आवेदक को विद्वान अधिवक्ता का उक्त रकवा 00–02–00 धूर जमीन के विक्री के संदर्भ में स्पष्ट कहना है कि पूर्णतः गलत ढंग से खरीद–बिक्री हुआ है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि किसी भी जमीन का किसी एक ही व्यक्ति के Rent Reciept हल्का कर्मचारी के द्वारा निर्गत किया जा सकता है।

अंत में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि हल्का कर्मचारी द्वारा गलतढंग से बहारुल हुसैन एवं ओबेदुर रहमान के नाम Rent Reciept निर्गत किया गया है। फलस्वरुप आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि मौजा आहुतग्राम ज0न0 15 दाग न0 491 रकवा 02–04–05 धूर जमीन आवेदक के नाम प्रविष्ट करते हुए जमांबंदी सुधार करने का अनुरोध किये है।

आज विपक्षी अनुपस्थित है। साथ ही उनके द्वारा अपने समर्थन में किसी भी

Scanned with CamScanner

प्रकार का लिखित बहस या अन्य कागजात न्यायालय को समर्पित नही किया गया है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा से प्रतिवेदन अप्राप्त।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यकरुपेण विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष ने कोई जवाब देना उचित नही समझा।

प्रथम पक्ष के आवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही जमीन का दो अलग–अलग लोगों द्वारा लगान दिया जा रहा है। जो कि न्यायोचित नही है।

अतएव वाद की कार्रवाई अंचल अधिकारी को इस निदेश के साथ समाप्त की जाती है कि वह जाँच करते हुए निर्धारित करेगें कि भू–लगान का भुगतान एक ही व्यक्ति करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner